Promotion of eco-friendly technology

1566. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the PHD Chamber of Commerce and Industry has suggested creation of a corpus fund to promote modern, clearn and eco-friendly technology in the small scale sector;

(b) if so, details thereof with other suggestions made in this regard;

(c) whether Government propose to consider these suggestions;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Government has not received any such reference from PHD Chamber of Commerce & Industry. However, PHD Chamber of Commerce & Industry had organised a seminar on 31.1.97 on "Financing for Modernisation and Strategic Location of SSI in Delhi" and it is reported that this point regarding creation of corpus fund was discussed in the Seminar.

(b) to (e) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित किया जाना

1567. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश उद्योगपति उद्योग लगाने में रूचि नहीं लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय उद्योगों को कम्पायमान और विश्वव्यापी स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए भारत सरकार ने घरेलू तथा विदेशी निवेश दोनों की अनुमति के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बहुत से कदम उठाये हैं। 14 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर, जिसके लिए औद्योगिक अनुमोदन अपेक्षित है, अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में 1997 की प्रैस नोट संख्या 2 के तहत विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन हेतु उद्योगों की सूची में विस्तार किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन हेतु 74% तक विदेशी इक्विटी के लिए कुछ श्रेणी की मदों को शामिल किया जा सके। उपर्युक्त के अलावा, पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विकास केन्द्र योजना और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परिवहन रांजसहायता योजना भी शुरू की है। भारत सरकार के पास आधारभूत क्षेत्र में निवेश के लिए तथा विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए, कर अवकाश योजना भी है। उत्तर प्रदेश में सुविधाओं के संबंध में औद्योगिक विकास का मुख्यतः उत्तरदायित्व राज्य सरकार है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है और उन्हें पूरा करने में सहायता करती है। अब तक उत्तर प्रदेश के लिए परिवहन रांजसहायता योजना के अधीन 15.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। भारत सरकार की विकास केन्द्र योजना के अधीन उत्तर प्रदेश के लिए 6 विकास केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है और उनके लिए अब तक 1850 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ख) इस प्रकार का कोई दृष्टान्त सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Protection to Heavy Industries

1568. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that full protection is given by the Government to heavy industries;

(b) if so, details thereof;

(c) whether SSIs are still under the Inspector Raj and this fact has also been brought to the notice of the Government;

(d) whether village people are exploited while setting up SSIs by officials of the Department of SSI and then by electricity departments and banks;

(e) whether the facts as in (c) & (d)